

तारीख हुक्म	बालक न्यायालय (सेशन न्यायाधीश), सीकर राज. राज्य बनाम मनीष उर्फ बच्चिया वगैरह सेशन प्रकरण संख्या 117/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.05.2026	1. श्री राजेन्द्र कुमार हुड्डा, विशिष्ट लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्ता सुधा कंवर मफरूर है। अभियुक्तगण 1. मनीष उर्फ बच्चिया, 2. विक्रम, 3. जतिन उर्फ जॉनी पहलवान, 4. राकेश, 5. गणेश, 6. मुकेश उर्फ बुल्लू, 7. सरजीत, 8. गुलझारी, 9. उमेश, 10. नेमीचन्द, 11. कुलदीप, व 12. राकेश कुमार जे.सी. से उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर से जरिये वी.सी. उपस्थित। 2. अभियुक्तगण सतीश कुमार उर्फ पहलवान तथा सचिन उर्फ सचिन भिवानी जे.सी. से जिला कारागृह भिवानी से जरिये वी.सी. उपस्थित। अभियुक्त अजीत उर्फ जीतू बलोद वरजमानत प्रोडक्शन वारण्ट से जरिये वी.सी. उपस्थित। 3. अभियुक्त शकील खान वरजमानत मय अधिवक्ता श्री राहुल चौधरी उपस्थित। अभियुक्त सरजीत सिंह वरजमानत मय अधिवक्ता श्री अंगद कुमार तिवाड़ी उपस्थित। अभियुक्तगण वीरेन्द्र सिंह, योगेश वर्मा, धनराज, शक्तिसिंह, विजयपाल, अशोक, श्रवण, कमल डेलू व दिनेश बारी अनुपस्थित की दरखास्त हाजरी माफी अधिवक्तागण श्री भगवत सिंह चारण, श्री अशोक कुमार पंवार, श्री अंगद कुमार तिवाड़ी व श्री छोटुराम खेदड़ ने प्रस्तुत किए जो आज के लिए स्वीकार किए जाते हैं। 4. साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी.डब्लू 19 शाहनवाज उर्फ बवलू के बयान पूर्ण किए गए। गवाह पी.डब्लू 20 मुकेश सारण के बयान लेखबद्ध किए गए। साक्ष्य के दौरान श्री कृष्ण हेड कानि. संख्या 954 थाना उद्योगनगर सीकर ने एक सील्डशुदा कपड़े की थैली प्रस्तुत की जिसे अनशील्ड कर बाद बयान पुनः शील्ड कर श्री कृष्ण को लौटाया गया। पत्रावली पूर्व से दिनांक 05.05.2026 हेतु नियत है। 5. पत्रावली साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 05.05.2026 को पेश हो। तब तक जे.सी. में निरुद्ध अभियुक्तगण की जे.सी. अवधि बढ़ाई जाती है।	सतीश सिंह 04.05.26 एक सील्डशुदा कपड़े की थैली प्रस्तुत की

04.5.26
 न्यायाधीश
 बालक न्यायालय
 (जिला एवं सेशन न्यायालय)
 सीकर (राजस्थान)